

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली
(एसीआर प्रकोष्ठ)

फा.सं.1-1/2025-26/ई-ए.पी.ए.आर./स्था.-I

दिनांक: 03.10.2026

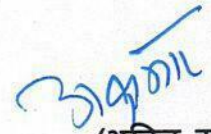
कार्यालय जापन

विषय: वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को पूरा करने की समय-सीमा में विस्तार संबंधी।

दिनांक 29.01.2026, 15.05.2026, 25.05.2026 एवं 06.08.2026 के समसंख्यक कार्यालय जापनों के अनुक्रम में, एक बार के विशेष उपाय के रूप में, संकाय सदस्यों सहित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों हेतु रिपोर्टिंग वर्ष 2025-26 के लिए एपीएआर को पूरा करने की मौजूदा समय सीमा को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है: -

क्र.सं.	कार्य-विवरण	अंतिम तिथि	
		वर्तमान	संशोधित
1.	समीक्षा अधिकारी द्वारा एपीएआर को पूर्ण किया जाना एवं प्रशासन अथवा ए.सी.आर. प्रकोष्ठ अथवा स्वीकृति प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजना (जहां लागू हो)	30 सितम्बर, 2026	15 अक्टूबर, 2026
2.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां ऐसा प्रावधान हो या लागू हो	31 अक्टूबर, 2026	15 नवम्बर, 2026

2. सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे रिपोर्टिंग वर्ष 2025-26 हेतु एपीएआर प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करने हेतु उपर्युक्त समय सीमाओं का सख्ती से पालन करें।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(अनिल कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. सभी संकायाध्यक्ष/सह-संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)
2. सभी केंद्र प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण /एककों/अनभुगों के प्रभारीगण
3. चिकित्सा अधीक्षक (मुख्य एवं रा.प्र.कें.)
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार

5. अधीक्षण अभियंता
6. उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी /सहायक प्रशासनिक अधिकारी
7. मुख्य परिचर्या अधिकारी/सभी परिचर्या अधीक्षक/उप-परिचर्या अधीक्षक/सहायक परिचर्या अधीक्षक
8. एम्स के सभी एसोसिएशन/यूनियन/संकाय/अधिकारीगण/स्टाफ-सदस्यगण
9. सभी सूचना-पट्ट
10. कंप्यूटर सुविधा, एम्स : इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं एम्स कंटेन्ट प्रोवाइटर में परिचालित करने के अनुरोध सहित
11. डॉ. ऐंजल राजन सिंह, आचार्य, अस्पताल प्रशासन एवं संयोजक, पीएमयू: उपर्युक्त परिपत्र की समय सारणी का अनुसरण करने के अनुरोध सहित

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/ अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय, एम्स, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।